

4000  
21/08/2017

उत्तराखण्ड शासन,

वित्त अनुभाग-8

संख्या /2017/9(120)/XXVII(8)/2017

देहरादूनः दिनांकः 18 अगस्त, 2017

  
अनुभाग  
आवश्यक कार्यवाही करें।

  
आपर आयुक्त-वाणिज्य कर  
उत्तराखण्ड, देहरादून

### अधिसूचना / संशोधन

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2017) की धारा 9 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 514/2017/9(120)/xxvii(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं; अर्थात् –

#### 2. उक्त अधिसूचना में,

- (i) अनुसूची I - 2.5% में क्रम संख्या 35 के स्तम्भ (3) की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित कर दी जाएगी :

क्र0 सं0	अध्याय / शीर्ष / उपशीर्ष / टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
35	0901	काफी भर्जित, चाहे कैफिन रहित है या नहीं, काफी की भूसी और छिलका; काफी के अनुकल्प, जिनमें किसी भी अनुपात में काफी है [काफी बीज, जो भर्जित नहीं है, से भिन्न]

- (ii) अनुसूची I - 2.5% में क्रम संख्या 103 के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ दी जाएगी :

क्र0 सं0	अध्याय / शीर्ष / उपशीर्ष / टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
103(अ)	2302	चोकर, तीक्ष्ण और अन्य अपशिष्ट चाहे वह गुटिका के रूप में हों या नहीं धान्य के या फलीदार पौधों के, पेषण या अन्य कार्य से व्युत्पन्न हो [जलीय खाद्य जिसके अंतर्गत झींगी खाद्य और झींगा खाद्य भी है, कुकुरुट खाद्य और पशु खाद्य, सूखी घास और पुआल, दालों का अनुपूरक और भूसी, सांद्रण और योज्यक, गेहूं का चोकर और तेल निकाला गया केक से भिन्न]

- (iii) अनुसूची I - 2.5% में क्रम संख्या 165 के स्तम्भ (2) में अंक 2710 19 00 के स्थान पर अंक 2711 19 00 रख दिए जायेंगे;  
(iv) अनुसूची I - 2.5% में क्रम संख्या 234 के स्तम्भ (2) में अंक 84 या 85 के स्थान पर अंक 84, 85 या 94 रख दिए जायेंगे;

- (v) अनुसूची II - 6% में क्रम संख्या 16 के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ दी जाएगी :

क्र0 सं0	अध्याय / शीर्ष / उपशीर्ष / टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
16(अ)	0805	निम्बुकुल फल, जैसे कि नारंगियां, मैंडारिन, (जिसके अंतर्गत टेन्जेरीन और सट्सूमसयी हैं); क्लेमेन्टाइन, विलकिंग और अन्य वैसे ही निम्बुकुल हाईब्रिड, अंगूर फल जिसके अंतर्गत पोमलोस भी है, नींबू (निम्बुकुल नींबू, निम्बुकुल

  
22/08/2017

		लिमोलम) और लाइम (निम्बुकुलआरन्टीफोलिया, निम्बुकुल लैटिफोलिया), शुष्कित
--	--	---

- (vi) अनुसूची II - 6% में क्रम संख्या 47 के स्तम्भ (2) में अंक 2202 90 10 के स्थान पर अंक 2202 99 10 रख दिए जायेंगे;
- (vii) अनुसूची II - 6% में क्रम संख्या 48 के स्तम्भ (2) में अंक 2202 90 20 के स्थान पर अंक 2202 99 20 रख दिए जायेंगे;
- (viii) अनुसूची II - 6% में क्रम संख्या 49 के स्तम्भ (2) में अंक 2202 90 90 के स्थान पर अंक 2202 99 90 रख दिए जायेंगे;
- (ix) अनुसूची II - 6% में क्रम संख्या 50 के स्तम्भ (2) में अंक 2202 90 30 के स्थान पर अंक 2202 99 30 रख दिए जायेंगे;
- (x) अनुसूची IV - 14% में क्रम संख्या 11 के स्तम्भ (2) में अंक 2202 90 90 के स्थान पर अंक 2202 99 90 रख दिए जायेंगे;
- (xi) अनुसूची IV - 14% में क्रम संख्या 163 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ दी जाएगी :

क्र0 सं0	अध्याय / शीर्ष / उपशीर्ष / टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
163(अ)	8701	1800 से अधिक क्षमता के ईंजन के अर्ध-अनुयान के लिए सड़क ट्रैक्टर

(राधा रत्नाली)  
प्रमुख सचिव

सं662/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2— निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि की इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100—100 प्रतियाँ वित अनुभाग—8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3— विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4— अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 5— एन0आई0सी0
- 6— गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,



(हीरा सिंह बसेड़ा)  
अनुसचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 662/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 18 August, 2017 for general information

**Government of Uttarakhand**  
**Finance Section-8**  
**No. 662/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017**  
**Dehradun :: Dated :: 18 August, 2017**

**Notification/ Amendment**

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient to do so in public interest;

Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 06 of 2017), the Governor, is pleased to allow to make the following amendments in the Notification No. 514/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 Dated 29 June, 2017 issued by the Government of Uttarakhand, Finance Section-8, namely:-

2. In the said notification, -

(i) in Schedule I – 2.5%, for the existing entry in column (3) of serial no. 35, the following entry shall be substituted :

S. No.	Chapter / Heading / Sub-Heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
35	0901	Coffee roasted, whether or not decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion [other than coffee beans not roasted]

(ii) in Schedule I – 2.5%, after the existing entry at serial no. 103, the following entry shall be inserted:

S. No.	Chapter / Heading / Sub-Heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
103A	2302	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants[other than aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed and cattle feed, including grass, hay and straw, supplement and husk of pulses, concentrates and additives, wheat bran and de-oiled cake];

(iii) in Schedule I – 2.5%, at column (2) of serial no. 165, for the figure 2710 19 00, figure 2711 19 00 shall be substituted;

(iv) in Schedule I – 2.5%, at column (2) of serial no. 234, for the figure 84 or 85, figure 84, 85 or 94 shall be substituted;

(v) in Schedule II – 6%, after the existing entry at serial no. 16, the following entry shall be inserted :

S. No.	Chapter / Heading / Sub-Heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
16A	0805	Citrus fruit, such as Oranges, Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkins and similar citrus hybrids, Grapefruit, including pomelos, Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) and limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), dried;

(vi) in Schedule II – 6%, at column (2) of serial no. 47, for the figure 2202 90 10, figure 2202 99 10 shall be substituted;

(vii) in Schedule II – 6%, at column (2) of serial no. 48, for the figure 2202 90 20, figure 2202 99 20 shall be substituted;

(viii) in Schedule II – 6%, at column (2) of serial no. 49, for the figure 2202 90 90, figure 2202 99 90, shall be substituted;

(ix) in Schedule II – 6%, at column (2) of serial no. 50, for the figure 2202 90 30, figure 2202 99 30, shall be substituted;

(x) in Schedule IV – 14%, at column (2) of serial no. 11, for the figure 2202 90 90, figure 2202 99 90, shall be substituted;

(xi) in Schedule IV – 14%, after the existing entry at serial no. 163, the following entry shall be inserted :

S. No.	Chapter / Heading / Sub-Heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
163A	8701	Road tractors for semi-trailers of engine capacity more than 1800 cc.

  
(Radha Raturi)  
Principal Secretary